भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.4167
दिनांक 26.03.2025 को उत्तर देने के लिए

उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना

4167. श्री अरुण कुमार सागर:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या देश भर में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेषकर उत्तर प्रदेश में आज की तिथि के अनुसार इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और
(ग) इस प्रयोजन के लिए आवंटित और उपयोग की गई केंद्रीय निधि का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान लाभार्थियों की राज्यवार संख्या कितनी है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): जी, हां। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के दिशा-निर्देश दिनांक 16.09.2015 को केन्द्र सरकार द्वारा परिचालित किए गए थे जिसमें राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए थे कि वे इन्हें जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) के लिए उनके द्वारा बनाए गए नियमों में शामिल करें। तदनुसार, उत्तर प्रदेश सहित 23 खनन राज्यों ने पीएमकेकेकेवाई के दिशा-निर्देशों को डीएमएफ के लिए उनके द्वारा बनाए गए नियमों में शामिल किया है।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आज तक डीएमएफ के तहत 1,944.58 करोड़ रुपये एकत्र किए गए हैं, जिनमें से 7,507 परियोजनाओं के लिए 1,058.90 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। कुल 6,138 परियोजनाएं पूरी की गई हैं और 806.71 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है।

ग) डीएमएफ में केन्द्र सरकार से बजटीय आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। डीएमएफ को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित रॉयल्टी के निश्चित प्रतिशत के अनुसार खनन पट्टा धारकों से प्राप्त वैधानिक अंशदान द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। डीएमएफ के अंतर्गत किया गया अंशदान संबंधित जिलों द्वारा एकत्र किया जाता है तथा खनन से प्रभावित सभी व्यक्ति एमएमडीआर अधिनियम के अनुसार डीएमएफ के अंतर्गत लाभार्थी होते हैं।

*****